संख्या-154/आई/1455314/2026/89-1099/218/2025

प्रेषक,

डॉ0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊः दिनॉकः 08 सितम्बर, 2026

विषय- प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज लखनऊ में स्थापित शोध अनुभाग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/742155/2026/UPDTE/138/2026, दिनांक 19.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में शोध अनुभाग स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में शोध अनुभाग को संचालित किये जाने हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

(1) शासन/निदेशालय द्वारा आवंटित शोध कार्यों को सम्पादित कराने हेतु नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेन्सी का चयन करते हुये प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में उपलब्ध कार्मिको द्वारा शोध अनुभाग के कार्यों का सम्पादन कराया जायेगा, आउटसोर्सिंग एजेन्सी यथा-यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक, उद्योग अधिष्ठान या अन्य गैर शासकीय संस्थाये हो सकती है।

(1) शोध कार्यों की प्रकृति/आवश्यकता के दृष्टिगत शोध कार्य दो प्रकार (अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि) के निर्धारित किये जाए। अल्प अवधि के शोध कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु कम से कम 03 माह का समय एवं दीर्घ कालीन शोध कार्यों हेतु कम से कम 06 माह का समय निर्धारित किया जाए। अपरिहार्य स्थिति में शोध कार्यों के समय में आवश्यकतानुसार वृद्धि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जा सकती है परन्तु इसके लिये आंकलन समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) किसी भी प्रकार के शोध कार्यों को प्रारम्भ से पूर्ण कराने तक अधिकांश विभिन्न प्रकार के दक्ष एवं भिज्ञ कार्मिको की आवश्यकता होती है। इसलिये शोध कार्य (अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि) में आने वाले व्यय का 70 प्रतिशत धनराशि मानदेय तथा 30 प्रतिशत धनराशि शेष कार्यों हेतु निर्धारित रहेगा।

(3) शोध कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रकार के व्यय निर्धारित आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जायेगी।

(4) शोध अनुभाग द्वारा सम्पादित समस्त प्रकार के कार्यों में व्यय का भुगतान मद संख्या-64 द्वारा किया जायेगा।

(5) शोध कार्यों के समन्वय/सम्पादन कराने हेतु प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द, अलीगंज, लखनऊ में एक कक्ष शोध सेल के रूप में स्थापित किया जाये जिसमें आवश्यक साज-सज्जा हेतु व्यय शोध अनुभाग हेतु आवंटित बजट से किया जायेगा।

(2) शोध अनुभाग के निर्धारित कार्य:-

1. अप्रसांगिक हो गये व्यवसायो को चिन्हान्कित किया जाना ।
2. प्रवेश में सुधार, छात्रों के रुझान, प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा कौशल उन्नयन में सुधार से सम्बन्धित कार्य में राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के प्रतिनिधि, निजी प्रशिक्षण प्रदाता के प्रतिनिधि, सफल प्रशिक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व रखा जाना एवं उद्योगो के प्रतिनिधियों को सम्मलित करते हुये उनके परामर्श से प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
3. पाठ्यचर्या के परिवर्तन के फलस्वरूप अनुदेशको/कार्यदेशको का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण।
4. उद्योगों की मांग के अनुसार नये व्यवासायी को चिन्हित किया जाना एवं उनके संचालन हेतु विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना।
5. चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधुनिक बनाया जाना एवं प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों की मांग के अनुरुप संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जाना।
7. आडियों, विजुअल रिकार्डिंग अत्याधुनिक लैब का निर्माण किया जाना।
8. चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया जाना।
9. केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की मन्शानुसार प्रशिक्षार्थियो को स्वंय उद्यमी बनने के लिये सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुये प्रोत्साहित किया जाना।
10. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भण्डार एवं कार्यालय का डिजिटलाइजेशन कराया जाना।
11. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीनरी, साज-सज्जा/उपकरण के क्रय में एक रूपता एवं उच्च गुणवत्ता निर्धारण हेतु विशिष्टियों को तैयार किया जाना।
12. उच्च स्तरीय प्राप्त निर्देशों एवं विभागीय आवश्यकतानुसार अन्य कार्य किया जाना।

(3) शोध कार्यों का संचालन

1. सभी कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा।

2. शोध अनुभाग का नोडल प्रभार/नोडल अधिकारी पदेन निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ होगे जिनके द्वारा शासन/निदेशालय द्वारा आवंटित शोध कार्यों को सम्पादित करने हेतु नियमानुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जायेगा।

3. शोध अनुभाग के कार्य/अन्य कार्यों को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप चिन्हांकन करते हुये शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव हेतु निम्नवत् क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है-

निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशक (प्रशि०/शिशु०), प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अध्यक्ष
वित्त नियंत्रक द्वारा नामित लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, लखनऊ।	संयोजक सदस्य

(4) क्रियान्वयन समिति के कार्य

1. शोध कार्य हेतु विषयों का चयन किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. शोध कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव का अनुश्रवण एवं संस्तुति किया जाना।

3. शोध कार्य हेतु सम्बन्धित विषय की समय सीमा निर्धारित करना।

4. शोध कार्य हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जाना।

5. अन्य कोई ऐसा कार्य जिसकी अपेक्षा उच्च स्तर से की गयी हो।

(5) क्रियान्यन समिति द्वारा चिन्हांकित शोध के कार्यों का आकलन एवं संस्तुति हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है-

प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।	अध्यक्ष
निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
अतिरिक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्षु०) प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।	संयोजक सदस्य

(6) आंकलन समिति के कार्य

1. क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुश्रवण एवं संस्तुति किया जाना।

2. शोध कार्यों में किसी भी प्रकार की असुविधा एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर निर्देश/सुक्षाव/निर्णय किया जाना।

3. शोध कार्य पूर्ण होने के उपरान्त क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रेषित परिणामों का आवश्यकतानुसार अनुपालन शासन/निदेशालय द्वारा कराया जायेगा।

4. आकलन समिति द्वारा संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त शोध कार्यों को ससमय एवं निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक (प्राविधिक) का होगा।

5. क्रियान्वयन समिति द्वारा शोध कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शोध के परिणामों के बारे में विस्तृत आख्या आकलन समिति को प्रेषित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. शोध कार्यों में किसी भी प्रकार की असुविधा एवं कठिनाईयों का निराकरण हेतु क्रियान्वन समिति अधिकृत होगी यदि निराकरण सम्भव नहीं है तो शासन से निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

7. शोध अनुभाग में आवश्यक साज-सज्जा कच्चा माल, फर्नीचर आदि का क्रय एवं आवश्यक मैनपापर का भुगतान नियमानुसार निदेशक (प्राविधिक) द्वारा किया जायेगा।

8. कार्य की अधिकता होने की दशा में भविष्य में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के विस्तारीकरण के अन्तर्गत शोध अनुभाग हेतु अलग भवन का प्रस्ताव क्रियान्वन समिति के माध्यम से शासन / निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

(7) शोध कार्यों में तात्कालिक सूचनायें एवं डाटा संकलन की आवश्यकता के दृष्टिगत निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टाफ प्ररिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज लखनऊ प्रदेश के समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0/प्रधानाचार्य/ एस०सी०वी०टी० से सीधे पत्राचार हेतु स्वतंत्र होगें तथा सम्बन्धित द्वारा प्रतिउत्तर समयानुसार निदेशक (प्राविधिक) को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(8) प्रशिक्षार्थियों के लर्निंग आउटकम (Learning Outcome) की मानिटरिंग:-

प्रदेश में चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की लर्निंग आउटकम (Learning outcome) की मानिटरिंग करने हेतु एक एल०एम०एस० तैयार करना, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण में गुणवात्तात्मक सुधार लाने में सहायक हो। साफ्टवेयर ऐसा हो कि प्रतिमाह अनुदेशको द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया जाय उसका पर्यवेक्षण संबंधित कार्यदेशको एवं प्रधानाधायों द्वारा किया जा सके। साथ ही साथ कार्यदेशक एवं प्रधानाचार्य की टिप्पणी सहित सूचना सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) एवं निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय को भी प्राप्त हो सके। जैसे कि किस संस्थान के किस व्यवसाय में किस माह में पाठ्यक्रम के अनुसार क्या प्रशिक्षण दिया गया है अथवा नही एवं प्रशिक्षार्थियों को जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी क्या गुणवत्ता है तथा प्रशिक्षार्थियों में गुणवत्तात्मक सुधार लाने हेतु और क्या किया जा सकता है जिससे प्रशिक्षार्थियों के लर्निंग आउटकम (Learning Outcome) की मानिटरिंग की जा सके।

3- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

डॉ0 हरिओम

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, अलीगंल, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) उ0प्र0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मनोज वर्मा

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।